पटना नगर निगम . एक अक्तूबर से चिह्नित संपत्तियों का स्थल निरीक्षण

स्व कर निर्धारण से 50 हजार कॉमर्शियल होल्डर बढ़ेंगे, लगभग 35 करोड़ राजस्व बढ़ेगा

संवाददाता,पटना

पटना नगर निगम में स्व कर निर्धारण की व्यवस्था से लगभग 50 हजार कॉमर्शियल होल्डर बढ़ने के आसार हैं. इनसे निगम को सालाना लगभग 35 करोड़ अतिरिक्त राजस्व मिलेंगे. जानकारों के अनुसार, स्व कर निर्धारण में संपत्तिधारकों को खुद अपने मकान का टैक्स निर्धारण कर ब्योरा देना है. पटना नगर निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवासीय घरों में कॉमर्शियल कारोबार हो रहा है. इसका खुलासा हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जारी नोटिस से खुलासा हुआ.

निगम को अभी सालाना 125 करोड़ संपत्ति कर मिल रहा है. निगम द्वारा टैक्स बढ़ाने के उद्देश्य से संपत्ति कर के दायरे को बढ़ाने, पुरानी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन व बकायेदारों से कर वसूली के लिए तीन स्तरीय अभियान चलाया जा रहा है.अभियान को और गति देने के लिए अब अंचल व मुख्यालय की राजस्व टीम के साथ सफाई निरीक्षकों, सेक्टर सुपरवाइजर व जोनल प्रभारियों को भी जोड़ा गया है.

30 सितंबर तक स्व कर निर्धारण होगा : निगम में स्व कर निर्धारण 30 सितंबर तक होना है. इसमें निगम क्षेत्र में सभी घरों के मालिकों को फिर से स्व कर निर्धारण कर ब्योरा देना है. संपत्ति कर के दायरे से बाहर घरों को चिह्नित कर निगम की ओर से सूची में शामिल किया जा रहा है. इसके लिए बिजली उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराई गयी है.

एक अक्तूबर से चिह्नित संपत्तियों का स्थल निरीक्षण होगा : संपत्ति कर के दायरे से बाहर चिह्नित संपत्तियों का एक अक्तूबर से स्थल निरीक्षण किया जायेगा. निरीक्षण के दौरान यदि संबंधित संपत्ति का स्व कर निर्धारण नहीं पाये जाने पर कार्रवाई होगी. इसके बाद 100 प्रतिशत पेनाल्टी के साथ संपत्ति का कर निर्धारण किया जायेगा. साथ ही इससे पता लगेगा कि स्व कर निर्धारण में सही भरा गया या नहीं. निरीक्षण में संपत्ति में कुल फ्लोर की संख्या, संपत्ति का कुल क्षेत्रफल, संपत्ति का उपयोग, सड़क की श्रेणी आदि के बारे में जानकारी देना होगी.

इस्लामिया शमशुल होदा भवन की नापी से रोकने व दुर्व्यवहार पर बिल्डर नवाब तारिक पर प्राथमिकी

पटना. पटना नगर निगम मिशन मोड में संपत्ति कर संग्रहण के लिए लगातार अभियान चला रहा है. नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर अभियान को प्रभावी बनाने के लिए राजस्व टीम के साथ-साथ सफाई टीमों को भी विशेष प्रशिक्षण देकर इस अभियान से जोड़ा गया है. इससे मंगलवार को शाम पांच बजे तक 93.68 लाख रुपये टैक्स कलेक्शन हुआ. इस दौरान अशोक राजपथ में पटना सायंस कॉलेज के पास स्थित इस्लामिया शमशुल होदा के नवनिर्मित भवन की नापी करने से निगमकर्मियों को बिल्डर नवाब तारिक के लोगों ने रोक दिया. साथ ही कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया. इस पर बांकीपुर अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी ने पीरबहोर थाने में बिल्डर नवाब तारिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी.

113 संपत्तियों का नया कर निर्धारिण संपत्ति कर के दायरे से बाहर 113 संपत्तियों की पहचान कर उसे शामिल किया गया. इसके अतिरिक्त 35 संपत्तियों का स्व पुनर्मूल्यांकन किया गया, जबकि 13 संपत्तियों का पेनाल्टी के साथ पुनर्मूल्यांकन किया गया.

पाटलिपुत्र अंचल में सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन

अंचल	संपत्ति	कलेक्शन
पाटलिपुत्र	129	67.99 लाख रुपये
अजीमाबाद	101	5.18 लाख रुपये
बांकीपुर	67	4.26 लाख रुपये
कंकड़बाग	103	8.68 लाख रुपये
नूतन राजधानी	94	5.63 लाख रुपये
पटना सिटी	38	1.92 लाख रुपये

>> मिशन टैक्स कलेक्शन : एक दिन में करीब 93.68 लाख रुपये जमा हुआ

>> 113 नयी संपत्तियां कर के दायरे में लायी गयीं

>> ~~113 नयी संपत्तियां कर के दायरे में लायी~~

मौत के बाद भी कोड़ाई महतो की दोनों आंखें देख सकेंगी दुनिया

मजदूर बेटे ने पिता के निधन के बाद लिया नेत्रदान का फैसला

संवाददाता, पटना

पीएमसीएच में 60 वर्षीय कोड़ाई महतो की मौत के बाद उनके बेटे जितेंद्र महतो ने ऐसा फैसला लिया, जो दूसरों के लिए मिसाल बन गया. पिता की मौत के गम के बीच बेतिया निवासी जितेंद्र ने उनका नेत्रदान करने का निर्णय लिया. आइ बैंक टीम के ऋषिकेश और गोनू झा की काउंसेलिंग के बाद जितेंद्र ने यह बड़ा फैसला लिया. इसके बाद डॉ शुभम और डॉ पूजा ने इमरजेंसी ओटी में कॉर्निया रिट्रीवल किया.

मजदूरी कर परिवार चलाते हैं जितेंद्र

जितेंद्र मजदूरी कर परिवार चलाते हैं. इसके बावजूद उन्होंने यह समझा कि पिता की आंखें किसी ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में रोशनी ला सकती हैं, जो लंबे समय से अंधेपन की पीड़ा झेल रहा है. उनका यह फैसला समाज के लिए बड़ा संदेश भी है कि किसी की जिंदगी खत्म होने के बाद भी उसका अंग किसी दूसरे के जीवन को नई रोशनी दे सकता है.

अंधविश्वास से ऊपर उठने की जरूरत: जितेंद्र को सम्मानित करते हुए पीएमसीएच अधीक्षक डॉ राजीव कुमार सिंह ने कहा कि नेत्रदान और अंगदान को लेकर समाज में आज भी कई तरह के भ्रम और अंधविश्वास हैं. इन्हें दूर करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. पीएमसीएच आई बैंक लगातार नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि नेत्रदान के लिए पीएमसीएच के मोबाइल नंबर 9783420549, 880411393 और 9318874785 पर संपर्क किया जा सकता है

304 मरीजों को मिल चुकी है रोशनी, 423 अब भी इंतजार में : पीएमसीएच आइ बैंक में 304 कॉर्निया प्रत्यारोपण हो चुके हैं, जबकि 423 मरीज इसके लिए पंजीकृत हैं. ऐसे में कोड़ाई महतो जैसे लोगों का नेत्रदान उन मरीजों के लिए उम्मीद बन सकता है, जो फिर से दुनिया देखना चाहते हैं.

सिविल सर्जन कार्यालय में जमा बारिश का पानी

राष्ट्रीय सुरक्षा में अभियंताओं की भूमिका अहम : राज्यपाल

समारोह को संबोधित करते राज्यपाल.

संवाददाता, पटना

अभियंताओं की भूमिका सिर्फ सड़क, पुल, भवन और दूसरी आधारभूत सुविधाएं बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में भी उनका बड़ा योगदान है. ये बातें राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने मंगलवार को अभियंता भवन में बिहार अभियंत्रण सेवा संघ द्वारा आयोजित 59वें अभियंता दिवस समारोह में कहीं.

राज्यपाल ने कहा कि बिहार में पिछले वर्षों में सड़क और दूसरी आधारभूत सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है. बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर से राज्य के विकास को गति मिली है. बिहार में शहरीकरण बढ़ रहा है और ऐसे में जलापूर्ति, बिजली, सड़क, भवन तथा कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाओं के विकास में सिविल अभियंताओं की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी. उन्होंने कहा कि बिहार की नदियां जहां सिंचाई और कृषि के लिए वरदान हैं, वहीं बाढ़ की चुनौती भी पैदा करती हैं. इसलिए नदियों के साथ बेहतर तालमेल रखते हुए जल प्रबंधन और बाढ़ से बचाव की प्रभावी व्यवस्था विकसित करना जरूरी है. मौके पर राज्यपाल ने इ उमेश कुमार (सेवानिवृत्त) और इ दया शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त) को 'अभियंता रत्न' पुरस्कार से सम्मानित किया. उन्होंने बिहार अभियंत्रण सेवा संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका ''इंजीनियर एक्सप्रेस'' का विमोचन भी किया.

BIHAR STATE MILK CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

बिहार स्टेट मिल्क कॉ-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०

COMFED

UNIT : JAMSHEDPUR DAIRY, POST: GAMHARIA, JAMSHEDPUR-832108, JHARKHAND

TELEPHONE : 91-657-2201907, 2201530, 2380845 I E-MAIL : jamshedpurdairy@gmail.com

AN ISO 22000 : 2018 CERTIFIED ORGANIZATION

COMFED:JSRD: Engg (Civil): 2495 Date 12.09.2026

NOTICE FOR EXTENSION OF TENDER SUBMISSION DATE

Tender Notice No.: COMFED:JSRD: Engg (Civil): 2286 dated 25.08.2026. It is hereby notified that the last date for submission of bids against the above-mentioned Tender Notice has been **extended up to 25.09.2026.** The tender will be opened on **28.09.2026** at 11:30 AM at the scheduled place. **All other terms and conditions of the Tender shall remain unchanged.**

S/d
Chief Executive

बारिश से सीएस कार्यालय में घुसा पानी, कई मुहल्लों में भी जलजमाव

पटना. मंगलवार की सुबह एक घंटे की बारिश से शहर के कई इलाके में जलजमाव की स्थिति हो गयी. हालांकि, शाम तक उन इलाकों से पानी की निकासी हो गयी. बारिश से सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में घुटने तक पानी भरने से कार्यालय आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ वहां पहुंचनेवालों को काफी परेशानी हुई. कार्यालय परिसर में देर तक पानी जमा रहने से कामकाज पर भी असर पड़ा. सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारी ने कहा कि मूसलधार बारिश के बाद परिसर में पानी भर जाता है. वहीं, मीठापुर स्थित पुरानी बस स्टैंड के पास पानी जमा होने से लोगों को कठिनाई हुई. बारिश के कारण बस स्टैंड के पास गणेशोत्सव को लेकर बने पंडाल में पानी भर गया.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई के कक्षा–VI (सत्र 2027–28) में नामांकन हेतु प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा (प्रारंभिक), 2027 का द्वितीय Dummy Admit Card समिति की वेबसाईट पर ऑनलाईन जारी करने तथा त्रुटि सुधार के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई के कक्षा–VI (सत्र 2027–28) में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा (प्रारंभिक), 2027 में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी, उनके अभिभावक, संबंधित विद्यालय प्रधान एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा में आवेदन–पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों का द्वितीय डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाईट **https://biharsimultala.com** पर **दिनांक 16.09.2026 से 22.09.2026 तक** त्रुटि सुधार हेतु उपलब्ध रहेगा।

2. द्वितीय डमी प्रवेश–पत्र (Second Dummy Admit Card) में अगर किसी प्रकार की त्रुटि (यथा–अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, जाति कोटि एवं फोटो आदि) हो तो छात्र–छात्रा/अभिभावक समिति के उक्त वेबसाईट पर अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड के माध्यम से निर्धारित अवधि में त्रुटि का सुधार कर सकते हैं।

3. उक्त अवधि के बाद किसी प्रकार की त्रुटि सुधार करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

विज्ञप्ति संख्या– पी.आर. 207/2026

परीक्षा नियंत्रक (विविध)

अभियंताओं के रिक्त पदों को जल्द भरा जायेगा : शिक्षा मंत्री

पटना. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार अभियंताओं की सभी समस्याओं के समाधान को लेकर तत्पर है. सरकार अभियंताओं के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयासरत है. जल्द ही अभियंताओं के सभी रिक्त पदों को भर दिया जायेगा. वह मंगलवार को अवर अभियंता संघ की ओर से आयोजित 59वां अभियंता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है.इस भागीरथ प्रयास में अभियंताओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी. अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष इ मिथिलेश कुमार ने की. संघ के महामंत्री इ गजेंद्र कुमार ने अभियंताओं की प्रोन्नति, रिक्त पदों व अन्य समस्याओं से अवगत कराया. मंच पर इ बृज किशोर प्रसाद यादव, इ छोटेलाल पासवान, इ अरविंद कुमार तिवारी व इ मनमोहन सिंह मौजूद थे. स्वागत इ. शौम्या सिंह कुशवाहा ने किया.

GOVT. OF BIHAR

BIHAR COMBINED ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION BOARD

I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, Patna-14.

Website : bceceboard.bihar.gov.in / Helpdesk : helpdesk.bceceboard@bihar.gov.in

UNDER GRADUATE MEDICAL ADMISSION COUNSELLING (UGMAC)-2026 for MBBS/ BDS/ B.V.Sc. & A.H./ B.F.Sc. in Govt. Medical / Dental / Veterinary Colleges / College of Fisheries and Private Medical / Dental Colleges of Bihar

Adv. No.- BCECEB(UGMAC)-2026/07 Dated 15.09.2026

Notice regarding Extended Online Counselling Programme for Round-2

In continuation to Adv. No. BCECEB(UGMAC)-2026/05 & 2026/06 dated 11.09.2026, it is informed to all eligible & interested NEET(UG)-2026 qualified candidates and all concerned that as per Health Department, Bihar, Patna Letter no. 1279(1) dated 15.09.2026, 1 (One) New Pvt. Medical College **"K. K. Medical College & Hospital, Rajgir, Nalanda"** and 50 additional seats in "**Himalaya Medical College & Hospital, Paliganj, Patna**" has been added.

2. **In the light of above, updated seat matrix has been uploaded on Board's website.**

3. Accordingly, the online Registration & submission of Application Form-cum-Choice Filling/ Editing of Application form data / Editing of Choices (Round-2) schedule is hereby extended as given below;

4. **Extended Important Dates for UGMAC-2026 Round-2 Counselling :**

i. **Updated Seat Matrix** posting on Board's website .... : **15.09.2026**

ii. **Last date** of online Registration & submission of Application with payment through Debit Card/ Credit Card/ Net Banking/ UPI by Registered candidate/ Editing of Application Form data .... : **17.09.2026** (11.59 pm)

iii. **Consent for Round-2 with Payment** (if any) from such candidates who have already duly submitted the Application Form earlier .... : **upto 17.09.2026** (10.00 pm)

iv. Publication of **Rank Card** .... : **19.09.2026**

v **Last date** of Choice Filling / Editing of Choices & Locking .... : **20.09.2026** (11.59 pm)

vi. **Round-2 Provisional Seat Allotment Result publication** .... : **24.09.2026**

vii. Downloading of Provisional Seat Allotment order (Round-2) .... : **24.09.2026 to 28.09.2026**

viii. **Documents Verification and Admission** .... : **26.09.2026 to 28.09.2026**

5. Rest of the terms / conditions for Round-2 Counselling mentioned in Adv. No.- BCECEB(UGMAC)-2026/05 Dated 11.09.2026 will remain the same.

Controller of Examination

डॉ सुब्रमणियन स्वामी हर्बल पार्क का शिलान्यास

पटना. डॉ सुब्रमणियन स्वामी के 88वें जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को फुलवारीशरीफ अंचल के पलंगा बस्ती स्थित अनुसूचित जाति टोला में डॉ सुब्रमणियन स्वामी हर्बल पार्क के निर्माण का शुभारंभ किया गया. इसका उद्घाटन इस्टर्न न्यूज एजेंसी के संचालक मो वसीम खान ने किया. आगामी एक वर्ष में बिहार के विभिन्न हिस्सों में ऐसे 88 हर्बल पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्य अतिथि चिकित्सक डॉ अनुप कुमार ने कहा कि ऐसे पार्क अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक होंगे. कार्यक्रम के सूत्रधार प्रो (डॉ) देवेंद्र प्रसाद सिंह ने अभियान के उद्देश्य और प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला. अधिवक्ता नरेंद्र कुमार सिन्हा समेत अन्य लोगों ने भी विचार रखे.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

इन्टरमीडिएट सत्र 2024–26 का सूचीकरण प्रमाण पत्र तथा इन्टरमीडिएट विशेष परीक्षा, 2026 एवं इन्टरमीडिएट कम्पार्टमेन्टल परीक्षा, 2026 के स्क्रूटिनी के पश्चात् जिन परीक्षार्थियों के अंक में परिवर्तन हुआ है, उनका अंक पत्रादि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेजे जाने तथा वहाँ से +2 स्तर के शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्राप्त कर संबंधित छात्र/छात्रा को वितरण कराने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट सत्र 2024–2026 में सम्मिलित परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, शिक्षण संस्थानों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि इन्टरमीडिएट विशेष/कम्पार्टमेन्टल परीक्षा, 2026 के स्क्रूटिनी के पश्चात् जिन परीक्षार्थियों के अंक में परिवर्तन हुआ है, उनका अंक पत्रादि समिति द्वारा प्रतिनियुक्त विशेष दूत के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जा रहा है, जो **दिनांक 16.09.2026 से विद्यालयों / महाविद्यालयों को वितरण हेतु उपलब्ध रहेगा।**

2. +2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि अपने संस्थान के परीक्षार्थियों का इन्टरमीडिएट सत्र 2024–26 का सूचीकरण प्रमाण पत्र एवं इन्टरमीडिएट विशेष/कम्पार्टमेन्टल परीक्षा, 2026 के स्क्रूटिनी के पश्चात् जिन परीक्षार्थियों का अंक में परिवर्तन हुआ है, उनका अंक पत्रादि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से स्वयं अथवा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए गए सूचीकरण प्रमाण पत्र एवं अंक पत्रादि का मिलान अवश्य कर लेंगे। यदि सूचीकरण प्रमाण पत्र एवं अंक पत्रादि के पैकेट में किसी दूसरे शिक्षण संस्थान के छात्र/छात्रा का अभिलेख प्राप्त हो जाए, तो उसे अपने अग्रसारण पत्र के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अविलम्ब वापस करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संबंधित शिक्षण संस्थान को प्राप्त कराया जा सके। इन्टरमीडिएट सत्र 2024–26 का सूचीकरण प्रमाण पत्र तथा इन्टरमीडिएट विशेष/कम्पार्टमेन्टल परीक्षा, 2026 के स्क्रूटिनी के पश्चात् जिन परीक्षार्थियों का अंक में परिवर्तन हुआ है, उनका सूचीकरण प्रमाण पत्र एवं अंक पत्रादि संबंधित छात्र/छात्रा को अविलम्ब प्राप्त करायेंगे एवं इसकी पावती तथा क्रॉस लिस्ट अपने संस्थान में सुरक्षित संधारित रखेंगे। यदि किसी संस्थान का अंक पत्रादि प्राप्त नहीं होता है, तो उनके प्रधान जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे, ताकि अंक पत्रादि उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

3. सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि छात्र/छात्रा का अंक पत्रादि वितरण करने से पूर्व उसका मिलान शिक्षण संस्थान में रक्षित अभिलेख से अवश्य कर लें। मिलान कर लेने के उपरांत यदि किसी छात्र/छात्रा के अंक पत्र में त्रुटिपूर्ण फोटो यथा–किसी दूसरे छात्र–छात्रा/व्यक्ति का फोटो मुद्रित हो अथवा फोटो मुद्रित नहीं हो अथवा अस्पष्ट फोटो मुद्रित हो, तो वैसे अंक पत्र संबंधित छात्र/छात्रा को हस्तगत नहीं कराया जाए। ऐसे त्रुटिपूर्ण अंक पत्र संगत साक्ष्य सहित अपने अग्रसारण पत्र के साथ समिति कार्यालय के अकादमिक भवन अवस्थित संबंधित जिला के परीक्षा प्रशाखा (उ०मा०) में **दिनांक 22.09.2026 तक** अनिवार्य रूप से जमा करना/कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उसका सुधार करने की कार्रवाई की जा सके। निर्धारित तिथि तक विवरणी जमा नहीं करने की स्थिति में यदि किसी छात्र/छात्रा के अंक पत्र में फोटो संबंधित त्रुटि रह जाती है, तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा और इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।

4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि समिति के विशेष दूत द्वारा भेजे गए इन्टरमीडिएट सत्र 2024–26 का सूचीकरण प्रमाण पत्र एवं इन्टरमीडिएट विशेष परीक्षा, 2026 एवं इन्टरमीडिएट कम्पार्टमेन्टल परीक्षा, 2026 के स्क्रूटिनी के पश्चात् जिन परीक्षार्थियों के अंक में परिवर्तन हुआ है, उनका अंक पत्रादि का पैकेट संबंधित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान अथवा उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्राप्त कराने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही संस्थान के प्रधान को अपने स्तर से अनिवार्य रूप से निदेश देंगे, कि छात्र/छात्रा को अंक पत्रादि वितरण कराते समय किसी दूसरे संस्थान के छात्र/छात्रा का अंक पत्रादि उन्हें प्राप्त हो जाए, तो उसे शीघ्र अपने अग्रसारण पत्र के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में वापस करना/कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान को प्राप्त करायी जा सके।

विज्ञप्ति संख्या– पी.आर. 205/2026

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या तथा उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / जमानतकर्ता के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक और राशि / ...तक कुल बकाया राशि	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि / बोली वृद्धि राशि
34.	BR/PTN/PTNA/A000001978 & CO/CPC/CPOF/A000020684 1. श्री मुकेश कुमार (उधारकर्ता) 2. सुश्री संध्या कुमारी (सह-उधारकर्ता) 3. सुश्री शिव कुमारी देवी (सह-उधारकर्ता 1)	01.03.2025 एवं रु. 8,28,702/- (रुपये आठ लाख अट्ठाईस हजार सात सौ दो मात्र) रु. 8,28,702/- (रुपये आठ लाख अट्ठाईस हजार सात सौ दो मात्र) दिनांक 14/09/2026 के अनुसार	25/07/2025 प्रतीकात्मक कब्जा	रु. 29,44,000/- रु. 294,400/- रु. 10000/-
	अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण: खाता नं. 92, खेसरा/प्लॉट नं. 202, क्षेत्रफल — 2.08 डेसीमल, थाना — सदर हाजीपुर, थाना नं. 110, मौजा — विष्णुपुर बलधारी उर्फ बलवा, अंचल — हाजीपुर, हल्का — विष्णुपुर बलधारी, रजिस्ट्री कार्यालय — हाजीपुर, जिला — वैशाली। सीमाएं: उत्तर — महेश राम एवं रमेश राम; दक्षिण — ग्रामीण सड़क; पूर्व — मोद राम एवं अन्य; पश्चिम — सुनील देवी/ओ — योगेंद्र साह एवं अन्य।			
35.	BR/PTN/PTNA/A000001390 & CO/CPC/CPOF/A000012751 & CO/CPC/CPOF/A000014803 & CO/CPC/CPOF/A000018984 1. श्री राजेश कुमार यादव (उधारकर्ता) 2. श्रीमती मिंटू रानी (सह-उधारकर्ता)	08/11/2025 एवं रु. 14,77,740/- (रुपये चौदह लाख सतहत्तर हजार सात सौ चालीस मात्र) रु. 17,09,733/- (रुपये सत्रह लाख नौ हजार सात सौ तैंतीस मात्र) दिनांक 12/09/2026 के अनुसार	19/02/026 Symbolic Possession	रु. 46,56,000/- रु. 4,65,600/- रु. 10000/-
	अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण: खाता नं. 681, खेसरा/प्लॉट नं. 1971, क्षेत्रफल — 4 डेसीमल, थाना नं. 247, मौजा — बैकुंठपुर, अंचल — राजापाकर, हल्का — बैकुंठपुर, उप-पंजीकरण कार्यालय — महुआ, जिला — वैशाली। सीमाएं: उत्तर — रतन सिंह सुपुत्र बाबू एकनाथ सिंह; दक्षिण — ग्रामीण सड़क; पूर्व — चंदन कुमार (हाल के क्रेता); पश्चिम — सागर राम।			
36.	BR/PTN/PTNA/A000001159 & CO/CPC/CPCO/A000000211 1. श्री मुन्ना साह (उधारकर्ता) 2. श्रीमती धर्मशिला देवी (सह-उधारकर्ता)	13/12/2025 एवं रु. 8,77,797/- (रुपये आठ लाख सतहत्तर हजार सात सौ सत्तानवे मात्र) रु. 7,82,673/- (रुपये सात लाख बयासी हजार छह सौ तिहत्तर मात्र) दिनांक 12/09/2026 के अनुसार	12/03/2026 प्रतीकात्मक कब्जा	रु. 46,42,000/- रु. 4,64,200/- रु. 10000/-
	अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण: अंचल — जंदाहा, मौजा — धधुआ, हल्का — बसंतपुर, राजस्व थाना — जंदाहा, थाना नं. — 364, खाता नं. — 300, खेसरा/प्लॉट नं. — 1487, क्षेत्रफल — 9.5 डेसीमल, जिला — वैशाली, रजिस्ट्री कार्यालय — हाजीपुर। सीमाएं: उत्तर — सड़क; दक्षिण — नागिना सिंह; पूर्व — हीराम सिंह; पश्चिम — पुरान सिंह।			
37.	BR/PTN/PTNA/A000000031 & BR/PTN/PTNA/A000001133 & CO/CPC/CPOF/A000002699 1. सुश्री राज कुमारी देवी (उधारकर्ता) 2. श्री अमरनाथ प्रसाद (सह-उधारकर्ता)	22/10/2021 एवं रु. 7,58,055/- (रुपये सात लाख अट्ठावन हजार पचपन मात्र) रु. 9,55,845/- (रुपये नौ लाख पचपन हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र) दिनांक 12/09/2026 के अनुसार	13/04/2022 प्रतीकात्मक कब्जा	रु. 18,63,000/- रु. 1,86,300/- रु. 10000/-
	अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण: आवासीय भूमि का संपूर्ण टुकड़ा एवं हिस्सा, जो समग्रनचक, नगला, मलसालामी, संग्राम चौक, शहरी पटना, बिहार — 800008 में स्थित है। संपत्ति की लंबाई नीचे उल्लिखित है। संपत्ति का विवरण इस प्रकार है — तौजी नं. बिहार सरकार, खेसरा नं. 406, खाता नं. 73, रकबा — 5 धुर, जो निम्नलिखित सीमाओं से घिरा है: उत्तर — सड़क; दक्षिण — गुमानी सिंह; पूर्व — 3 फीट सामान्य सड़क; पश्चिम — प्लॉट नं. 606 का भाग।			
38.	BR/PTN/PTNA/A000000165 & BR/PTN/PTNA/A000001084 1. श्री रंजन कुमार (उधारकर्ता) 2. सुश्री चिंता देवी (सह-उधारकर्ता) 3. सुश्री रितु कुमारी (सह-उधारकर्ता 1)	04/01/2023 एवं रु. 8,75,314/- (रुपये आठ लाख पचहत्तर हजार तीन सौ चौदह मात्र) रु. 7,45,130/- (रुपये सात लाख पैंतालीस हजार एक सौ तीस मात्र) दिनांक 14/09/2026 के अनुसार	26/04/2023 प्रतीकात्मक कब्जा	रु. 51,83,000/- रु. 518,300/- रु. 10000/-
	अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का संपूर्ण टुकड़ा एवं हिस्सा, क्षेत्रफल — 9 डेसीमल, खाता नं. 91, सर्वे प्लॉट नं. 122, थाना नं. 35, मौजा — रामपुर, चंदपुरा खुर्द, थाना — गोरौल, हाजीपुर, जिला — वैशाली तथा सीमाएं: उत्तर — प्रभु पासवान; दक्षिण — निज; पूर्व — सड़क; पश्चिम — निज।			
39.	BR/PTN/PTNA/A000002052 & CO/CPC/CPOF/A000013576 & CO/CPC/CPOF/A000020853 1. श्री रंजन कुमार (उधारकर्ता) 2. श्रीमती उमरावती देवी (सह-उधारकर्ता) 3. श्री राजकिशोर राय (सह-उधारकर्ता 1)	08/11/2025 एवं रु. 11,36,835/- (रुपये ग्यारह लाख छत्तीस हजार आठ सौ पैंतीस मात्र) रु. 12,21,373/- (रुपये बारह लाख इक्कीस हजार तीन सौ तिहत्तर मात्र) दिनांक 12/09/2026 के अनुसार	11/02/2026 प्रतीकात्मक कब्जा	रु. 33,49,000/- रु. 3,34,900/- रु. 10000/-
	अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण: खाता नं. 333, सर्वे प्लॉट नं. 2084, थाना नं. 963 में सम्मिलित 6 डेसीमल भूमि का संपूर्ण टुकड़ा एवं हिस्सा, मौजा — कमतौल, थाना — कुढ़नी, जिला — मुजफ्फरपुर। सीमाएं: उत्तर — निज; दक्षिण — निज; पूर्व — कैलाश सिंह; पश्चिम — गणेश साह।			
40.	BR/MUZ/CHPR/A000000007 & BR/PTN/PTNA/A000001041 1. श्री रविकांत शर्मा (उधारकर्ता) 2. श्री रामदास शर्मा (सह-उधारकर्ता) 3. श्री रामजीवन शर्मा (सह-उधारकर्ता 1	22.08.2022 एवं रु. 12,49,969/- (रुपये बारह लाख उनचास हजार नौ सौ उनहत्तर मात्र) रु. 12,97,550/- (रुपये बारह लाख सत्तानवे हजार पांच सौ पचास मात्र) दिनांक 12/09/2026 के अनुसार	13/10/2023 प्रतीकात्मक कब्जा	रु. 34,85,000/- रु. 3,48,500/- रु. 10000/-
	अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण: सर्वे खाता नं. 35, 34, 163, 313, कुल क्षेत्रफल — 1 कट्ठा ½ धुर, मकान नं. 11, मौजा — सिसवा, हल्का — रसूलपुर। सीमाएं: पूर्व — मालीचंद्र शर्मा एवं शंकर साह की खुली भूमि; पश्चिम — सड़क; दक्षिण — राम विलास शर्मा की खुली भूमि; उत्तर — चंद्रदीप ठाकुर एवं वीरेंद्र ध्रुव सिंह की संपत्ति।			

भुगतान का माध्यम: सभी भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे। खाते का विवरण निम्नानुसार है: क) खाते का नाम: हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ख) बैंक का नाम: एचडीएफसी, कांजुरमार्ग मुंबई, आईएफएससी कोड: HDFC0004989

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें 1. संपत्ति को "जैसी है, जहां है तथा जो कुछ है, जैसा है" के आधार पर, बिना किसी सहारे/दावे के अधिकार के बेचा जा रहा है। अतः यह बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी, प्रत्याभूति अथवा क्षतिपूर्ति के दायित्व के बिना की जा रही है। 2. ई-नीलामी बिक्री सूचना में दी गई संपत्ति/परिसंपत्ति का विवरण (अर्थात क्षेत्रफल एवं माप) सुरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है और सुरक्षित लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत विवरण अथवा चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक क्षेत्रफल एवं माप में अंतर हो सकता है। 3. सुरक्षित लेनदार द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री सूचना आम जनता को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण मात्र है तथा इसे सुरक्षित लेनदार की ओर से किसी प्रकार की प्रतिबद्धता या अभ्यावेदन नहीं माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार के पास उपलब्ध स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की प्रतियों का अवलोकन करें तथा बोली प्रस्तुत करने से पूर्व संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व एवं वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकाया के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच एवं उचित सावधानी करें। 4. नीलामी/बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम" से वेबसाइट www.bankeauctions.com अथवा सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही की जाएगी, जो ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया का आयोजन एवं समन्वय करेगा। 5. बोलीदाता अपनी सुविधानुसार किसी भी स्थान से ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना स्वयं बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क संबंधी समस्या, सिस्टम क्रैश, विद्युत आपूर्ति बाधित होने आदि के लिए सुरक्षित लेनदार/सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होगा। 6. ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोली लगाने के लिए इच्छुक बोलीदाता सेवा प्रदाता से निम्न पते/संपर्क पर संपर्क कर सकते हैं: मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं.-68, 3रा तल, सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा -122003 (हेल्प लाइन नं. +91-124-4302000) सहायता ईमेल: Support@bankeauctions.com सहायता मोबाइल नंबर: 7291981124/1125/1126 श्री मिथिलेश कुमार मोबाइल: 7080804466 ईमेल: Mithalesh.kumar@c1india.com, delhi@c1india.com 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा पहले से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होने के तुरंत बाद केवल पासवर्ड बदलने की सलाह दी जाती है। 8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य का 10% वापसी योग्य बयाना राशि जमा करना होगा। उक्त बयाना राशि इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 13/10/2026 को या उससे पहले "हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध बिड फार्म को विधिवत भरकर तथा बयाना राशि के लिए एनईएफटी/आरटीजीएस प्रेषण की रसीद/प्रमाण के साथ सीलबंद लिफाफे में निम्न पते पर अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा: अधिकृत अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पहली मंजिल, यमन एन्क्लेव, नागरमल के पास, रुकनपुरा, बिहार, पटना - 800014। 10. सीलबंद लिफाफा 22-10-2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक नवीनतम रूप से जमा किया जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से निम्न अंकित होना चाहिए: "ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु बोली — ऋण खाता संख्या बी के लिए (जैसा कि ऊपर उल्लिखित है)" 11. बयाना राशि के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात अधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच की जाएगी तथा उन योग्य बोलीदाताओं की पुष्टि की जाएगी जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक बोली लगाई है और सुरक्षित लेनदार के पास निर्धारित बयाना राशि जमा किया है। इसके पश्चात सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सूचित किया जाएगा, ताकि केवल उन्हीं बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तारीख एवं समय पर ऑनलाइन परस्पर-बोली/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सके। 12. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर-बोली की शुरुआत योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत सर्वाधिक बोली से प्रारंभ होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान "10" मिनट की असीमित समय-वृद्धि होगी। 13. यदि अंतिम समय-वृद्धि से अगले 10 मिनट के भीतर कोई बोली लगाई जाती है, तो ई-नीलामी का समाप्ति समय प्रत्येक बार स्वतः 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा। 14. एक बार बोली लगाए जाने के बाद उसे रद्द या वापस नहीं लिया जा सकेगा। बोलीदाता को प्रदान की गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसी बोलीदाता द्वारा लगाई गई मानी जाएंगी। 15. ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होते ही सर्वाधिक बोली लगाने वाला बोलीदाता अपने द्वारा लगाई गई अंतिम बोली राशि की पुष्टि अधिकृत अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पहली मंजिल, यमन एन्क्लेव, नागरमल के पास, रुकनपुरा, बिहार, पटना - 800014 तथा सेवा प्रदाता को ई-मेल के माध्यम से करेगा, ताकि उसे ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके। 16. सफल बोलीदाता बिक्री के उसी दिन बोली राशि (बयाना राशि सहित) का 25% जमा करेगा तथा शेष 75% बोली राशि बिक्री की तारीख से 15 दिनों के भीतर एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जमा करेगा। 17. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता निर्धारित समय के भीतर उपर्युक्त राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से जमा राशि (बयाना राशि सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को पुनः बिक्री के लिए रखा जाएगा। 18. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर अधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेकाधिकार से शेष बोली राशि जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय प्रदान कर सकता है। 19. सफल बोलीदाता बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री प्राप्ति में) के रूप में जमा करेगा तथा अधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और प्रस्ताव की अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर, अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे गए ऐसे अन्य विस्तारित समय के भीतर, बिक्री मूल्य की पूरी राशि जमा करेगा। निर्धारित अवधि में जमा न करने पर अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। 20. नगर निगम/पंचायत कर, विद्युत बकाया (यदि कोई हो) तथा संपत्ति से संबंधित किसी भी अन्य प्राधिकरण का बकाया (यदि कोई हो), बिक्री प्रमाणपत्र जारी होने से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाएगा। बोलीदाताओं को संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक देयताओं को ध्यान में रखते हुए बोली लगानी चाहिए। 21. बिक्री प्रमाणपत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में तभी जारी किया जाएगा, जब संपूर्ण खरीद मूल्य/बोली राशि जमा कर दी गई हो और सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिया गया हो। 22. हस्तांतरण, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य आकस्मिक/संबंधित वैधानिक शुल्क सहित लागू विधिक शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 23. यदि निर्धारित नीलामी तिथि से 30 दिन पहले ई-नीलामी बिक्री को किसी बाद की तारीख के लिए स्थगित किया जाता है, तो इसकी सूचना सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। 24. अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं निर्विवाद होगा। 25. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्तों को पढ़ा एवं समझा हुआ माना जाएगा और वे उनसे बाध्य होंगे। 26. अधिक जानकारी एवं पूछताछ के लिए अधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से संपर्क करें। ई-मेल: auction@hindujahousingfinance.com 27. यह प्रकाशन उपर्युक्त ऋण खाते के उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटरों को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अनुसार 30 (तीस) दिनों की सूचना भी है, जिसमें उपर्युक्त तारीख/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित की जानी है।

दिनांक: 16.09.2026 | स्थान: पटना

अधिकृत अधिकारी : हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।

विशेष निर्देश / सावधानी अंतिम मिनटों/सेकंडों में बोली लगाने से बोलीदाताओं को अपने हित में बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में बोलीदाता की ओर से किसी भी प्रकार की चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, विद्युत आपूर्ति बाधित होना आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/वैकल्पिक उपाय, जैसे बैक-अप विद्युत आपूर्ति आदि, पहले से सुनिश्चित कर लें तथा ऐसी किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी रखें, ताकि वे नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।